न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या-19/2024
दायरी दिनांक 23.12.2023

1. दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वार्ड न0 16 तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू
2. रमाकान्त शर्मा पुत्र गिरधारीलाल जाति ब्रहामण निवासी वार्ड न0 16 तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू

बनाम

भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मण्डावा तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनूं (राज.)

—

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री महेन्द्र नेमीवाल एडवाकेट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 21.11.2024

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 311 के वर्तमान खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1509 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 1510 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 2232/1480 रकबा 1.37 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.65 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है।वाके ग्राम बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 78 के वर्तमान खसरा नम्बर 1508 रकबा 1. 30 हैक्टर, खसरा नम्बर 2212/1505 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 2392/1514 रकबा 0.21 हैक्टर हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 हैक्टरभूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है।प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सख्या 1 का नाम का नाम धनराज पुत्र गिरधारीलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 2 का नाम बन्टी पुत्र गिरधारीलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम रमाकान्त शर्मा पुत्र गिरधारीलाल है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 2 का नाम रमाकांत पुत्र गिरधारीलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी संख्या 2 का पूरा नाम रमाकांत शर्मा पुत्र गिरधारीलाल है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है।प्रार्थीगण ने अपने कृषि भूमि में केसीसी लेने के लिए दिनांक 19/12/2023 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 व 2 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है। यह कि वाद कारण दिनांक 19/12/2023 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय बिसाऊ से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय बिसाऊ ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 311 के वर्तमान खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1509 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 1510 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 2232/1480 रकबा 1.37 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5. 65 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे प्रार्थी संख्या 1 का नाम का नाम धनराज पुत्र गिरधारीलाल की जगह प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम बन्टी पुत्र गिरधारीलाल की जगह प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम रमाकांत शर्मा पुत्र गिरधारीलाल दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार वाके ग्राम बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 78 के वर्तमान खसरा नम्बर 1508 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 2212/1505 रकबा 0.14 हेक्टर, खसरा नम्बर 2392/1514 रकबा 0.21 हैक्टर हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.65 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे प्रार्थी संख्या 2 का नाम रमाकांत पुत्र गिरधारीलाल की जगह प्रार्थी संख्या 2 का पूरा नाम रमाकांत शर्मा पुत्र गिरधारीलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ को तलबी नोटिस जारी किये । तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पत्रांक भू.अ. /2024 /140 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश की कस्वा बिसाऊ के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता संख्या 311 में प्रार्थीगण का नाम धनराज पुत्र गिरधारीलाल,बन्टी पुत्र गिरधारीलाल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम धनराज पुत्र गिरधारीलाल के स्थान पर रमाकान्त पुत्र गिरधारीलाल एवं बन्टी पुत्र गिरधारीलाल के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम बिसाऊ के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 78 में प्रार्थीगण के नाम रमाकान्त पुत्र गिरधारीलाल, दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी गण के वास्तविक नाम रमाकान्त पुत्र गिरधारीलाल, दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल है।अतः तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम बिसाऊ के खाता संख्या 311 में दर्ज धनराज पुत्र गिरधारीलाल के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल एवं बन्टी पुत्र गिरधारीलाल के स्थान पर रमाकान्त पुत्र गिरधारीलाल कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार बिसाऊ को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा